of the building has been completed and the Head Post Office has started functioning in the newly constructed building with effect from 1st February, 1965.

Mining Engineers

178. { Shri J. B. Singh:
Shrimati Renu Chakravartty:

Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state the number of mining engineers who are registered with the Employment Exchanges in Calcutta, Bombay and Delhi for the last two years and have not been provided with any job so far?

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya):

Employment Exchange	Number on Live register for last two years as on 31-12-1964.
Bombay	Nil
Calcutta	One
Delhi . .	Nil

Employment in Mining Concerns

179. Shri Yashpal Singh: Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state:

(a) whether the Government of Bihar have issued any circular for giving preference for employment in the Mining concerns only to residents of Bihar; and

(b) if so, the Government's reaction thereto?

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya): (a) No.

(b) Does not arise.

---

12. 07 hrs.

POINT OF ORDER

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह पेपर्स टु बी लेड ग्रौन दी टेबल क्यों बुला लिया क्या इस कारण ग्राप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरा ग्रध्यक्ष पर व्यवस्था का प्रश्न है ग्रौर संविधान के ग्रनुसार ग्राप की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप यहां पर ग्रंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं (हंसी)...

जब लोगों का हंसना रुक जायेगा तब मैं ग्रपनी बात पर ग्रागे बढ़ूंगा।

मेरा निवेदन यह है कि ग्राप यहां सिर्फ हिन्दी ही नहीं बल्कि पंजाबी, बंगला या किसी ग्रौर भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जो कि ग्राप करना चाहें। मैं ग्रापका ध्यान संविधान की धारा 120 की तरफ खींचना चाहता हूं। उसमें दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में लिखा हुग्रा है संसद में कार्य हिन्दी में या ग्रंग्रेजी में किया जायेगा। यह तो 120 वीं धारा का पहला हिस्सा है। उसके दूसरे हिस्से में यह लिखा हुग्रा है कि 26 जनवरी 1965 के बाद से यह ग्रनुच्छेद ऐसा प्रभावी होगा मानों कि "ग्रंग्रेजी में" ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिये गये। तो इस धारा के मुताबिक ग्रंग्रेजी का शब्द लुप्त कर दिया गया है ग्रौर केवल हिन्दी का शब्द रह गया है। यह सही है कि इसमें विधि के बारे में भी व्यवस्था की गई है, जिसके सम्बन्ध में मैं ग्रभी ग्रागे बताता हूं। ग्रगर इस धारा को बज़ाते-खुद ग्राप पढ़ेंगे, तो सिर्फ़ हिन्दी का शब्द रह जाता है, ग्रंग्रेजी का शब्द ख़त्म हो जाता है। लेकिन जहां हिन्दी का शब्द है, वहीं पर पहले हिस्से में एक दूसरी हिदायत भी है कि ग्रगर कोई सदस्य हिन्दी में ग्रपनी पर्याप्त ग्रभिव्यक्ति नहीं कर सकता,

तो अध्यक्ष उसको अपनी मातृ-भाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनूज्ञा दे सकेगा। यह बिल्कुल साफ़ है कि अगर कोई सदस्य हिन्दी में नहीं बोल सकता, या नहीं बोलना चाहता, तो वह पंजाबी, तेलगु, तमिल, बंगला आदि कोई भी भाषा बोल सकता है। यह बात धारा 120 में बिल्कुल साफ़ है।

अब मैं आपका ध्यान उस विधि की तरफ खींचना चाहता हूं, जो इस धारा की मातहती में पास की गई बताते हैं। संविधान की जिस धारा की मातहती में वह विधि पास की जानी चाहिए, वह उस के बिल्कुल खिलाफ़ पड़ती है, क्योंकि विधि में लिखा हुआ है कि संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि का अवसान होने पर भी नियत दिनसे हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी भाषा संघ के उन सब शासकीय प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी...इसमें ये शब्द हैं, "संघ के उन सब शासकीय प्रयोजनों के लिए"। यह विधि संविधान की जिस धारा की मातहती में पास हुई है... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सवाल उठाया जा रहा है। यह व्यवस्था का प्रश्न उठा है इस बात पर कि मैं अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकता।

डा० राम मनोहर लोहिया : जी हां। कोई भी सदस्य नहीं कर सकता और अध्यक्ष महोदय तो ख़ैर विशेष तौर पर कर ही नहीं सकते।

मैं अर्ज करूंगा कि जुबान पर लोगों की बहुत बंधी हुई रायें हैं और अगर कोई कानून और व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है, तो उस पर बहुत धीरज से विचार होना चाहिए, नहीं तो इस बात का ख़तरा है कि कानून की हत्या हो जाये। इस लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सदन में भी इस पर ज़रा गम्भीरता से विचार किया जाये और उस के अलावा आप भी अगर आज फ़ैसला न देकर इस पर अच्छी तरह से सोचें, तो अच्छा होगा।

धारा 343 में लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद् उक्त पन्द्रह साल की कालावधि के पश्चात् विधि द्वारा अंग्रेज़ी भाषा का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी, जैसे कि इस विधि में उल्लिखित हों। यह बिल्कुल साफ़ है कि अंग्रेज़ी ऐसे प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल हो सकेगी, जो कि विधि में उल्लिखित हों। लेकिन इस विधि में उन प्रयोजनों को उल्लिखित नहीं किया गया है। विधि में लिख दिया गया है कि पन्द्रह बरस के बाद संघ के सभी मामलों के लिए अंग्रेज़ी का इस्तेमाल हो सकेगा।

यदि आप संविधान की धारा 343 को ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसमें यह कहा गया है कि 1950 से 1965 तक अंग्रेज़ी का सब मामलों में प्रयोग हो सकता है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल साफ़ लिखा हुआ है कि विधि में उन प्रयोजनों का उल्लेख होना चाहिए, जिनके लिए 1965 के बाद अंग्रेज़ी का प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार जो विधि—जो सरकारी भाषा अधिनियम—यहां पास हुआ वह संविधान की इस धारा से टकराता है, ग़ैर-काननी है। अगर आप यह कहें कि उस विधि के दूसरे हिस्से में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल लोक सभा के लिए ख़ास तौर से जायज़ बताया गया है, तो मैं कहूंगा कि जब अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल बहुत कठिन मामलों और दायरों में नहीं हो सकता तो एक आसान मामले में जहां पर कि उसका इस्तेमाल सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए तो वह हो ही नहीं सकता।

इसलिए मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि धारा 120 और 343 के अनुसार यहां पर हर सदस्य को मौका है कि अगर वह हिन्दी नहीं बोल सकता, या

[डा० राम मनोहर लोहिया]

नहीं बोलना चाहता, तो वह हिन्दुस्तान की किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वह अंग्रेजी का इस्तेमाल हरगिज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये दोनों धारायें बिल्कुल साफ़ कहती हैं कि अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वह विधि अनकांस्टीटयूशनल है या अगेंस्ट कांस्टीटयूशन है,...

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : क्या "अनकांस्टीटयूशनल" के लिए कोई हिन्दी शब्द नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे सब लफ्ज नहीं आते हैं । मैं इसके नाकाबिल हूं । जहां तक हो सके, मैं तो इस पर अमल करने की कोशिश करूंगा :

حافظا گر وصل خواھی صلح کن
با خاص و عام
با مسلمان اللہ اللہ با برھمن رام رام

जो माननीय सदस्य हिन्दी में बोलेंगे, मैं उनसे हिन्दी में बात करने की कोशिश करूंगा और जो माननीय सदस्य अंग्रेजी में बोलेंगे, उनसे अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करूंगा, जैसी कि मुझे आती होगी ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप पंजाबी में भी कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : पहली बात तो मैं यह कह दूं कि मैं पंजाबी में बात नहीं कर सकता हूं, जो कुछ मैं संविधान को समझता हूं, उसके मुताबिक ।

माननीय सदस्य ने आर्टिकल 120 (2) का जिक्र किया है । उसमें कहा गया है :

"Unless Parliament by law otherwise provides, this article shall, after the expiration of a period of fifteen years...."

Because Parliament has otherwise provided, the latter portion does not come into operation at all.

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): His point, as far as I could understand his Hindi, was that since we have legislated that English will be used only specifically for the purposes of the Union, Parliament has got to fall within that category *i.e.* it must fall in the Union list of subjects. Is that correct?

Some Hon. Members: No, no.

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस सब आर्टिकल का ताल्लुक है, वह तो आता नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट ने ला पास कर दिया है । माननीय सदस्य ने कहा है कि ला पास करने के वक्त शरायत लगानी चाहिए थीं और बताना चाहिए था कि किन बातों के लिए आगे अंग्रेजी इस्तेमाल हो सकेगी और चूंकि वे नहीं बताई गई, इसलिए वह ला कांस्ट्रीटयूशन के अनुसार नहीं है । यह काम तो कोर्टस का है कि वे देखें कि वह ला कांस्टीटयूशन के अनुसार है या नहीं । यह मेरा काम नहीं है कि मैं उस को कांस्टीटयूशन के बरखिलाफ़ करार दूं । यह अदालतों का काम है और मैं उस में नहीं जा सकता हूं, जब तक इस पार्लियामेंट का पास किया हुआ वह कानून मेरे सामने है । मुझे तो उसके मुताबिक चलना होगा । उसमें अंग्रेजी को एसोशिएट लैंग्वेज सहराजभाषा, का दर्जा दिया गया है । उसका मतलब मैं यही समझता हूं कि जब तक आर्टिकल 120 के साथ वह कानून मौजूद है, तब तक हर एक मेम्बर को यह अख्त्यार हासिल है, इस बात की आजादी है कि वे चाहे अंग्रेजी में यहां अपना वक्तव्य दें, सवाल करें या जो कुछ और बोलना चाहें, बोलें या हिन्दी में करें । इन दोनों जबानों में कर सकते हैं । अगर वे अपनी मातृ जबान में, मातृ भाषा में कुछ कहना चाहें तो जो कुछ अब तक कांस्टीटयूशन है, उसके मुताबिक वे उस वक्त कर सकते हैं

जब वे स्पीकर को सल्ली करा दें कि वे अंग्रेजी या हिन्दी में अपने आप को जाहिर नहीं कर सकते हैं। हमने एक सर्वे भी कराया था, मैम्बर साहबान से दरियाफ्त किया था और ऐसे सिर्फ छः मैम्बर साहिबान निकले थे, जहां तक मुझे याद है, जो अंग्रेजी या हिन्दी में अपने आप को जाहिर नहीं कर सकते हैं। अगर इनको कोई तकलीफ है तो मैं बराबर उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं। वे जिस वक्त चाहें अपनी मातृभाषा में वक्तव्य दे सकते हैं और उनको तर्जुमा साथ देना होगा...

Shri Hem Barua: If I want to speak in Assamese will you allow me, Sir?

Mr. Speaker: If I am satisfied that he cannot adequately express himself in Hindi or in English, then alone and not otherwise.

An Hon. Member: He can express himself over-adequately also.

अध्यक्ष महोदय : अब इस बात पर कोई सवाल नहीं उठ सकता है। मेरी राय जो है इस बारे में वह बिल्कुल जाहिर है, साफ है। अभी तक जो कानून की हालत है और इस कांस्टीटयूशन की है, उसके अनुसार मैं जो समझता हूं कि वह यह है कि हर एक मैम्बर अंग्रेजी या हिन्दी, इनमें से जिस में चाहे अपने आपको जाहिर करे, बोले, सवाल करे, उसके लिए मैं सब सहूलियतें दूंगा। जो भी इन दोनों में से किसी में भी अपने आप को जाहिर नहीं कर सकते हैं वे अपनी मातृभाषा में कर सकेंगे और उसके लिए भी मैं सहूलियतें दूंगा। लेकिन मैं किसी मैम्बर को किसी वक्त इस हालत में रख नहीं सकता हूं कि वह एक जबान में बोले या दूसरी में न बोले। यही इस में चलेगा। तर्जुमा का जो निर्णय हमने किया था वह इसीलिए किया था कि जो हम एक जबान में कहें उसको दूसरी जबान समझने वाले भी समझते चले जायें। मेरा ख्याल है कि एक दूसरे की मदद करके समझने की तरफ हम को ज्यादा ध्यान देना चाहिये बजाय इस के कि इस सवाल को उसूल का बना कर ऐसा करें जिससे हमारे मुल्क को कोई खतरे पैदा हों। मैं सब मेम्बरों से अपील करूंगा कि इस वक्त हम एक मिसाल कायम करे दूसरों के लिए। मुल्क में ऐसी चीजें हुई हैं जिन से हमें शर्म आती है, बहुत शर्म आती है। बाहर के लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि इस वक्त तो लोग स्पेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लैंगुज पर लड़ाई कर रहे हैं जिससे इतने खतरे पैदा हो रहे हैं कि मुल्क के टुकड़े टकड़े हो जायें। जो सवाल अब है उसको हमें समझना चाहिये। हर एक को समझना चाहिये। मैं सब मेम्बर साहिबान से विनती करूंगा कि वे अपनी जिम्मेदारी को रीयलाइज करें। अगर पालियामेंट के मेम्बर मिसाल कायम नहीं कर सकते हैं तो और किस जगह पर होगी।

डा० राम मनोहर लोहिया : मुल्क के ऊपर खतरे की बात, अध्यक्ष महोदय, आपने कही है और एक अपील की है। तो में भी बहुत गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि इस मुल्क की एकता के लिए जितना हम यहां उत्सुक हैं उतना शायद ही कोई हो .....

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप ध्यान दीजिये जो में कह रहा हूं। इस सदन को मुकदमेबाजी की तरफ ले जाने में तो कोई फायद होगा नहीं, इसलिए में निवेदन करना चाहता हूं कि इन विषयों पर आप गम्भीरता से सोचें। मैं आपसे कहता हूं कि कानून जो पालियामेंट ने पास किया है, उसके द्वारा .....

अध्यक्ष महोदय : अब आप दोहराये चले जायेंगे? आपने गम्भीरता से सोचने को कहा है। इसको तो मैं हर रोज गम्भीरता से सोचता रहूंगा। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

डा० राम मनोहर लोहिया : एक राय बनी हुई है मुल्क में। टूटने का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। आप इस पर ध्यान दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : मुझे एक शब्द को कहने की इजाजत दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं।

श्री गो० ना० दीक्षित : एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : में एलाउ नहीं करता हूं।

12.25 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORTS OF THE INDIAN STATISTICAL INSTITUTE, CALCUTTA

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): Sir, I beg to lay on the Table a copy of Annual Report of the Indian Statistical Institute, Calcutta, for the year 1962-63, together with the Balance Sheets as on 31st March, 1960, 31st March, 1961, 31st March, 1962 and 31st March, 1963, and the Audit Reports thereon. [*Placed in Library, See* No. LT-3804/65].

श्री बागड़ी (हिसार): एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अब मामला खत्म हो गया है।

श्री बागड़ी : आपने व्यवस्था दी है आपने कहा है कि दोनों भाषाओं की छूट दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : अब वह खत्म हो चुका है।

श्री बागड़ी : प्रधान मंत्री अंग्रेजी में बोल रहे हैं, इस पर मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये।

ANNUAL REPORTS OF HINDUSTAN AIRCRAFT LTD., BANGALORE AND BHARAT ELECTRONICS LTD.

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): I beg to lay on the Table a copy each of the following Reports under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) Annual Report of the Hindusstan Aircraft Limited, Bangalore, for the year 1963-64, along with the Audited Accounts and the comments of the. Comptroller and Auditor General thereon. [*Placed in Library, See* No. LT-3805/65.]

(ii) Annual Report of the Bharat Electronics Limited, Bangalore, for the year 1963-64, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-3806/65].

REGISTRATION OF ELECTORS (SECOND AMENDMENT) RULES, 1964

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): Sir, I beg to lay on the Table a copy of Electors (Second Amendment) Rules, 1964, published in Notification No. S.O. 4371 dated the 21st December, 1964, under sub-section (3) of section 28 of the Representation of the People Act, 1950. [*Placed in Library. See* No. LT-3807/65].

RESERVE AND AUXILIARY AIR FORCES ACT (AMENDMENT) RULES, 1964

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Reserve and Auxiliary Air Forces Act (Amendment) Rules, 1964, published in Notification No. S.R.O. 404